न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 04/2017/भीलवाड़ा (2017/00114

रामरिछपाल पुत्र मोहनलाल नुवाल जाति महाजन निवासी सेवा सदन रोड़, भीलवाड़ा।

अपीलान्ट

बनाम

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/आदेश/ 2013/22340 दिंनाक 29-4-2013

उपस्थितः 1-श्री मदन लाल गुर्जर अभिभाषक अपीलान्ट
2- श्री अजय त्रिपाठी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 24.10.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम एक शस्त्र 32 बोर रिवाल्वर न0 ए-4447 अनुज्ञा पत्र संख्या बी0एच0एल0/37/1997 का लाईसेन्सधारी है। उक्त शस्त्र का अनुज्ञा पत्र अपीलांट के नाम जारी किया गया जो कि दिनांक 31-12-2012 तक नवीनीकृत था, गो आगामी नवीनीकरण के लिए जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के यहां प्रार्थना पत्र मय आचरण संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त कर अपने आदेश दिनांक 29-4-2013 के द्वारा प्रार्थी का शस्त्र 32 बोर रिवाल्वर नं0 ए-4447 अनुज्ञा पत्र संख्या बी0एच0एल0/37/1997 अनुज्ञा पत्र को निरस्त करते हुए पुलिस थाना में शस्त्र को जमा कराने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 29–4–2013 एक तरफा में पारित किया गया और निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रार्थी को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16–6–2017 को उस समय हुई जब संबंधित पुलिस थाना के कर्मचारी ने प्रार्थी को बताया कि उसका शस्त्र का लाईसेन्स निरस्त हो गया और शस्त्र को पुलिस थाना में जमा कराना होगा जिस पर आज अजमेर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार कराई जाकर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने प्रार्थी को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये पुलिस थाना की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा आदेश पारित कर दिया जो न्याय, नियम व रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होना मानकर उसके अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जबकि प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण संख्या 566/2011 अन्तर्गत धारा 406, 420, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाकर अपीलांट के विरूद्ध अपराध साबित नहीं पाये जाने से धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत पुलिस थाना द्वारा अनुसंधान बन्द कर दिया गया है एवं प्रकरण का निस्तारण होकर अपीलांट को दोषमुक्त किया गया एवं दोषमुक्त होने के बाद भी पुलिस थाना ने अपीलांट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट

प्रस्तुत कर दी किन्तु पुलिस अधीक्षक ने बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण जेरकार होना के आधार पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलांट का उक्त शस्त्र का अनुज्ञापत्र धारी है जो उसे अपनी सुरक्षा के लिए जारी किया गया है तथा उक्त हथियार का कभी भी अपीलांट ने गलत एवं गैर कानूनी उपयोग नहीं किया बल्कि अपीलांट एक शांतिप्रिय व्यक्ति है जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बिना किसी आधार के निरसत करने में भारी भूल की गई है। जिला कलक्टर ने अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का जो कारण आपराधिक प्रकरण का अनुसंधान किया जाना बताया गया है जबकि पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज आपराधिक प्रकरण में एफ0आर0 लगायी जा चुकी है तथा पुलिस द्वारा प्रार्थी को उक्त रिपोर्ट में दोषी नहीं पाया गया है इस कारण प्रार्थी को जारी किया गया शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2013 निरस्त किया जाकर शस्त्र 32 बोर रिवाल्वर नं0 ए–4447 अनुज्ञा पत्र संख्या बी0एच0एल0/37/1997 का अपीलांट के नाम नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि अपीलार्थी को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश की जानकारी दिनांक 16–6–2017 को हुई जबकि वास्तव में अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 29–9–2013 को ही हो गयी थी। अपीलार्थी सद्भाविक रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है तथा उसने जानकारी के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजात भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना प्रतापनगर भीलवाड़ा में प्रथम सूचना संख्या 566/11 भीलवाड़ा में अन्तर्गत धारा 406, 420, 120 बी भा0द0स0 व धारा 3, 4, 5 व 6 इनामी चिटफण्ड स्कीम में दर्ज हुई थी तथा जिला कलक्टर द्वारा जब दिनांक 29–4–2013 को अपीलार्थी के उपरोक्त अनुज्ञा पत्र लाईसेन्स नवीनीकरण नहीं करने तथा शस्त्र को पुलिस थाने में दर्ज कराने के आदेश पारित किये थे तब तक अपीलार्थी को उक्त प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 566/11 जैर अनुसंधान ही था तथा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 173 (8) द0प्र0स0 के तहत अनुसंधान जारी रखा गया एवं जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 29–4–2013 जारी कर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 9–6–2014 को अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध कारित करना नहीं मानते हुए पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 9–6–2014 को धारा 173(8) द0प्र0स0 में अनुसंधान बंद करने की स्वीकृति दी गई और जो जिला कलक्टर भीलवाड़ा के द्वारा जारी

आदेश के पश्चात का है ऐसे में अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर बदनियती से जिला कलक्टर के आदेश को विलम्ब से प्रस्तुत कर मियाद का आधार लिया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान जारी था और इसी कारण उसके विरूद्ध अनुसंधान दिनांक 9–4–2014 को बंद कर देने के पश्चात दुर्भावना सेमियाद का आधार लेकर बदनियती से विलम्ब से अपील प्रस्तुत कर मियाद में छूट प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि पुलिस थाना प्रतापनगर भीलवाड़ा में प्रथम सूचना संख्या 566/11 भीलवाड़ा में अन्तर्गत धारा 406, 420, 120 बी भा0द0स0 व धारा 3, 4, 5 व 6 इनामी चिटफण्ड स्कीम के तहत जो चार्जशीट संख्या 35/11 दिनांक 5–2–2012 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष पेश की गई उसमें अभियुक्त सुभाषचन्द जो कि अपीलार्थी रामरिछपाल नुवाल का पुत्र है उसके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 406, 420, 120 बी भा.द.स. व 5, 6 चिटफण्ड में चालानी स्वीकृति प्रदान की गई तथा उसके विरूद्ध हितम्बा चार्जशीट दिनांक 19–6–2014 को संबंधित न्यायालय में पेश भी की गई। अपीलार्थी के पुत्र सुभाष चन्द नुवाल की गिरफ्तारी पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से रोक है जिस क्रम में उसके विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर अपील पेश की गई है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी की सुरक्षा से ज्यादा जनहित की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना अतिआवश्यक है व्यक्तिगत सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापक जनहित की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। तत्समय अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित मुकदमा लम्बित और अनुसंधानरत था। अपीलार्थी के पुत्र को पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध वांछित कार्यवाही अमल में लायी गयी। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने अपीलांट के विद्वान अभिभाषका की एकपक्षीय बहस तथा जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की लिखित बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 13–3–2013 के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या (1) 713/75 धारा 43(3) डीआईआर एक्ट में दर्ज होकर दिनांक 20–4–1978 को 500/– रूपये का जुर्माना हुआ, (2) थाना प्रतापनगर में प्रकरण संख्या 566/11 अन्तर्गत धारा 406, 420, 120बी भदस में दर्ज होकर 173(8) सीआरपीसी के तहत अनुसंधान किया जाना शेष है तथा प्रकरण संख्या (3) 571/11 अन्तर्गत धारा 406, 420, 120बी भादस में दर्ज होकर थाना प्रतापनगर पर जैर अनुसंधान होने के कारण अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई है। जिला

पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13–3–2013 के बिन्दु संख्या 2 से 4 के तहत अपीलार्थी का आचरण, व्यवहार सामान्य है तथा अपीलार्थी द्वारा पिछले तीन वर्षो में हथियार का दुरूप्योग नहीं किया गया है तथा आवेदक के विरूद्ध शांतिभंग करने की कार्यवाही भी नहीं हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया कि अपीलार्थी से लोक शाति एवं जनसुरक्षा किस प्रकार से बाधित होने का अंदेशा है, के संबंध में कोई टिप्पणी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं की हे।

रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक का कथन है कि उसके पुत्र के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 406, 420, 120 बी भा.द.स. व 5, 6 चिटफण्ड में चालानी स्वीकृति प्रदान की गई तथा अपीलार्थी के पुत्र सुभाष चन्द नुवाल की गिरफ्तारी पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से रोक है तथा अपीलार्थी के पुत्र के विरूद्ध अभी तक चालान ही पेश नहीं हुआ है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपीलार्थी के नाम है ना कि उसके पुत्र के नाम। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13(1) व 14 (3) के तहत जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया साथ ही अपीलांट के विरूद्ध किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तथा न ही अपीलांट आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। आयुद्ध अधिनियम की धारा 14 (1)(ख) के अन्तर्गत ''यदि किसी व्यक्ति को आर्म्स व एम्यूनेशन रखने के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत रोक लगा रखी हो एवं विकृत चित्त का व्यक्ति हो तथा जहां लोक शांति व सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है'' उक्त आधार पर ही लाईसेन्स जारी करने से इन्कार किया जा सकता है। अपीलांट पर किसी भी न्यायालय या ऑथिरिटी ने आर्म्स व एम्यूनेशन रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाा रखा है। अपीलांट विकृत चित्त का व्यक्ति नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट में उक्त कारण मौजूद ही नहीं है तो बिना किसी कारण के जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपने आदेश में किन कारणों से आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मेरी राय में उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध सभी तथ्यों की एवं राज्य सरकार के परिपत्र/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होता है, लिहाजा अपीलांट की अपील आशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2013 / 22340 दिनांक 29–4–2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली में उपलब्ध

दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का पुनः अवलोकन कर एवं अपीलांट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 12:55:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: